



क्रमांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अदालत जो इतना जारी हुए
---------	------------------------------------	--------------------------------------

13/5
2024

पत्रावली दल रजिस्टर की जाजर अप्रार्थीगण को सम्मन मय नबल जारी किये जाजर पत्रावली वारसी नोटिस तामिल दिनांक 30/5/24 को पेश हो 
S.P.O.

30/5
2024

पत्रावली पेश हुई... उन्नीशशोधक संव्य द्वारा कन्यायिक... कार्य... समाप्त करने के अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/6/24 को पेश की जावे 
S.P.O.

10/6
2024

पत्रावली पेश हुई | उभय पक्षकाराने उपलब्ध पेशेकार सरकार ने न्यायालय में उपलब्ध हो जवाब प्रस्तुत करने के इन्कार कर पत्रावली में NO-objection प्रस्तुत किया। वकील प्राधी ने आज ही वह करने का निवेदन कर प्र।पत्रधार-128 पर वह अंतिम सुनई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्र।पत्रधार-128 व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अहनता के अवलोकन किया गया व मनन किया गया। वकील प्राधी द्वारा वह के दौरान दी गई दलीलो के इन संतुष्ट हैं। प्राधी का प्रस्ताव अंतर्गत धारा - 128 वाबत वतथरगदी का स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्राधी का प्र।पत्र स्वीकार

10/5/24
MTO



Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

रावतभाटा

बनाम

भूमिधारी व हसीलदार

किस्म मुकदमा

प्रा० पत्र

नं०

31

सन 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>जाता है। प्रा० पत्र द्वारा -128 का निर्णय द्वारा से लिखा जाकर टुकले-यायालय की इजाजत से सुनाया गया। पत्रावली केवल शुमार है। दर्ज रजिस्टर से कम किया जाकर शामिल दफतर है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	